

**श्री सुभाष सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या 18/3/1081
का उत्तर प्रतिवेदन।**

क्र० सं०	अतारांकित प्रश्न सं०-18/3/1081	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है की गोपालगंज जिला अंतर्गत उचकागाँव प्रखंड के खरहवां-मकसूदपुर REO पथ के आरोखन एवं गोपालगंज शहर के हरखुआ से थावे प्रखण्ड के रामचन्द्रपुर REO पथ के आरोखन में सारण नहर पर स्थित पुल काफी पुराना एवं जर्जर है जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही हैं एवं कभी भी कोई हादसा हो सकता है, यदि हाँ तो सरकार गोपालगंज जिले में उक्त पुलों के स्थान पर नये पुल का निर्माण कब तक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि :- ● गोपालगंज जिला के उचकागाँव प्रखंड अन्तर्गत खरहवां-मकसूदपुर पथ एकपथीय सड़क है, जो ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल हथुआ के कार्यक्षेत्रान्तर्गत है। उक्त पथ में ग्राम-मकसूदपुर में सारण मुख्य नहर के कि०मी० 21.25 पर अवस्थित एकपथीय (SLR) पुल पथ के अनुसार उपयुक्त है, जिसपर सभी प्रकार के वाहनों का सुगमतापूर्वक आवागमन होता है। ● हरखुआ रामचन्द्रपुर पथ एकपथीय सड़क है, जो ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल गोपालगंज-01 के कार्यक्षेत्रान्तर्गत है। सारण मुख्य नहर के कि०मी० 30.21 पर ग्राम हरखुआ में अवस्थित एकपथीय (SLR) पुल पथ के अनुसार उपयुक्त है, जिसपर सभी प्रकार के वाहनों का सुगमतापूर्वक आवागमन हो रहा है। उक्त पुल के क्षतिग्रस्त पारापेट वॉल एवं उपरी सतह के मरम्मत हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन सिवान को निदेशित किया गया है। ● वर्तमान में प्रश्नगत पुलों के स्थान पर नये पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। ● अगर प्रश्नगत पुलों के चौड़ीकरण हेतु सड़क निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की जाती है, तो नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।

P.T.O.

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-203/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के लिये प्राप्त अतारांकित प्रश्न सं0-18/3/1081 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-203/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-203/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-203/2026-

3946

पटना, दिनांक- 07/09/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3.9.26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

639/26